Research Inspiration
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed)
Journal home page: www.researchinspiration.com
ISSN: 2455-443X, Vol. 07, Issue-III, June 2022

ग्वालियर जिले में खाद्य अपमिश्रण की समस्या और कुपोषणः एक सामाजिक–विधिक अध्ययन

(The Problem of Food Adulteration and Malnutrition in Gwalior District: A Socio-Legal Study)

Chetna Sharma[a,*] **Dr. Shiv Pratap Singh Raghav**[b,**]

[a] *Ph.D. Scholar (Law), Mahatma Gandhi College of Law, Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh,(India).*

[b] *Professor & Principal, Mahatma Gandhi College of Law, Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh,(India).*

KEYWORDS

कुपोषण, शुद्व भोजन, आवश्यक पोषक तत्व, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता।

ABSTRACT

खाद्य पदार्थों का निर्माण करने में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता हैं, वे जितने ताजे व शुद्ध होगें उतने ही निर्मित होने वाले खाद्य पदार्थ भी शुद्ध व गुणवत्तायुक्त होगा। यदि खाद्य पदार्थों के निर्माण करने में मिलावटी व अशुद्ध पदार्थो का उपयोग किया जाता है, तो निर्मित होने वाले खाद्य पदार्थ उतने ही निम्न कोटि के एवं मनुष्यों मे बीमारियों को उत्पन्न करने वाले होगें। प्रत्येक मनुष्य के लिए शुद्व भोजन केवल जीवित रहने के लिए नही, बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन आवश्यक होता हैं। जिससे शरीर का क्रमिक विकास होता है। यदि बढ़ते हुए बच्चों को भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व नही मिलते है, तो वे बच्चें कई रोगों से ग्रसित हो जाते है। अशुद्ध भोजन खाने वाले बच्चें अक्सर कुपोषण के शिकार हो जाते है। व्यक्तियों व बच्चों में कुपोषण अधिकांशतः पर्याप्त व पोषक तत्वों युक्त भोजन न मिलने के कारण होता है। क्योंकि यह आवश्यक है कि भोजन में खनिज तत्व, प्रोटीन, वसा, शर्करा, पानी, आदि पदार्थों का समावेश पर्याप्त मात्रा में हो। जो कि शरीर के लिए अति आवश्यक है, परंतु आज मिलावटी दौर में दुकानों व बजारों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाकर बेंचने की होड़ मची हुई है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की ध्यान कम दिया जाता है। खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिन पदार्थों व रासायनों का प्रयोग किया जाता है, उनसे अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इस शोध पत्र के माध्यम से शोधार्थिनी के द्वारा खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट से मानव समाज को होने वाले नुकसान व बीमारियों के कारणों बारें अध्ययन कर समाज को जागरूक करना है।

प्रस्तावना

खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर सदियों पुराना है। यदि अतीत का अवलोकन किया जाये तो ऐसा माना जाता है कि जितनी पुरानी मानव सभ्यता है, उतनी पुरानी खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों में मिलावट के साक्ष्य मिलते है। आदि काल में मदिरा, दूध, अनाजों, दालों, तेल व मसालों जैसे पदार्थों में मिलावट आसानी से की जाती थी। और दुकान दारों द्वारा मिठाईयॉ बनाने में व अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट देखने को मिलती थी।

मिलावटी पदार्थों के द्वारा बनाया गया भोजन अधिकतर विषाक्त प्रकृति होता है। मिलावटी पदार्थों से बनाये गये भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार होता है, तथा कुपोषण भी इसका प्रमुख कारण है।

* **Corresponding author**
***E-mail:** Chetnabharadwaj88@gmail.com (Chetna Sharma). https://orcid.org/0000-0001-7236-7504
****E-mail:** shivpforlegalresearch@gmail.com (Dr. S. P. S. Raghav). https://orcid.org/0000-0002-8667-5572

DOI: https://doi.org/10.53724/inspiration/v7n3.04
Received 10th April 2022; Accepted 20th May 2022
Available online 30th June 2022

2455-443X /©2022 The Journal. Published by Research Inspiration (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

खाद्य सुरक्षा की परिभाषा

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(थ) में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई जो कि निम्न प्रकार है–

''खाद्य सुरक्षा'' से यह आश्वासन अभिप्रेत है कि खाद्य उसके आशयित उपयोग के अनुसार मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है।

कुपोषण के कारण

- मिलावटी पदार्थों से निर्मित भोजन
- भोजन में पोषक तत्वों की कमी
- दोषपूर्ण भोजन पकाने की प्रक्रिया
- मद्यपान व मादक पदार्थों का सेवन
- मानसिक समस्यायें
- दैनिक जीवन में व्यस्तता

- **मिलावटी पदार्थों से निर्मित भोजन**

  जब कियी व्यक्ति को दैनिक जीवन में पर्याप्त न मिले और यदि भोजन मिले भी तो मिलावटी भोजन। अब यह बात स्वाभाविक है कि मिलवाटी खाद्य पदार्थों से निर्मित भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिससे कुपोषण के साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ, ठंड ज्यादा लगना, थकान होना, चिड़चिड़ापन, प्रजनन से सम्बन्धित समस्यायें, बीमारियों के ठीक होने में देरी, हृदय रोग, अंगो का निष्क्रिय होना, चेहरे पर कुरूपता, बालों का गिरना व झड़ना।

- **भोजन में गुणवत्ता व पोषक तत्वों की कमी**

  मिलावटी पदार्थों के द्वारा बनाये गये खाद्य पदार्थों की प्रकृति अधिकतर विषाक्त होती है। मिलावटी पदार्थों से बनाये गये खाद्य पदार्थों का सेवन करने से व्यक्तियों को कई बीमारियाँ हो जाती है।

  जब भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है। और ऐसे भोजन को जिस भी व्यक्ति द्वारा लगातार कई दिनों तक सेवन किया जाता है, तो शरीर कमजोर हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है।

- **दोषपूर्ण भोजन पकाने की प्रक्रिया**

  दोष पूर्ण भोजन पकाने की प्रक्रिया की वजह से भोजन के जो पोषक तत्व है वह समाप्त हो जाते हैं भोजन केबल पर स्वादिष्ट रह जाता है गुणवत्ता युक्त नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कि भोजन को अधिक देर तक व तेज ऑच में पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

- **मद्यपान व मादक पदार्थों का सेवन**

  आज का युवा वर्ग अपनी शानो शौकत में मद्यपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। जिसकी बजह से वह धीरे–धीरे कई रोगों का शिकार हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति जो मद्यपान एवं मादक पदार्थो का सेवन करने लगता है, तो वह जो भी भोजन ग्रहण करता है वह उसके शरीर को नहीं लगता है। बल्कि वह व्यक्ति दुर्बल होता चला जाता है और एक समय आता है जब उस व्यक्ति शरीर क्षीण हो जाता है।

- **मानसिक समस्यायें**

  मानसिक समस्याओं के कारण भी व्यक्ति अपनी देख रेख स्वयं नही कर पाता है। और न भोजन को पर्याप्त व संतुलित मात्रा में ग्रहण कर पाता है। जिसकी बजह से वह कुपोशण का शिकार हो जाता है।

दैनिक जीवन में व्यस्तता

दैनिक जीवन में जो व्यक्ति अधिक व्यस्त रहते हैं चाहे वह है कामकाज के सिलसिले में हो, या किसी अन्य प्रकार से, तो ऐसा माना जाता है कि वह दैनिक जीवन चर्या में संतुलित मात्रा भोजन एवं पोषक तत्वों युक्त भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जिसकी बजह से वे धीरे–धीरे कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। जो व्यक्ति कामकाज के सिलसिले में अधिकांशतः घर के बहार रहते है वे लोग भोजन भी होटलों, ढावों व अन्य स्थानों में ग्रहण करते है। बाजार व होटलों से बनी खाद्य पदार्थो में यह आवश्यक नही है कि वह गुणवत्ता युक्त, एवं पोषक तत्वों से भरपूर हो। होटलों व ढावों पर बने हुए भोजन को स्वाद के आधार पर ग्रहण करते है। इसके कारण भी अधिकांश लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

कुपोषण से होने वाले रोग

- शरीर में वसा की मात्रा का कम होना
- श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ
- शरीर का तापमान कम होना
- ठंड ज्यादा लगना
- थकान होना
- चिड़चिड़ापन
- प्रजनन से सम्बन्धित समस्यायें
- बिमारियों के ठीक होने में देरी
- हृदय रोग
- अंगो का निष्क्रिय होना
- चेहरे पर कुरूपता
- बाल गिरना/झड़ना

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के कारण

- **कम समय में धनबान बनने की जिज्ञासा**

अधिकतर लोग रातों रात अमीर बनना चाहते है। जिसके लिये वह किसी भी हद तक कानूनों का उल्घन कर अधिक मुनाफा कमाकर अमीर बनने की होड़ में लगे रहते है। प्रत्येक व्यवयासी कम लागत लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह अधिक मुनाफा कमाने की बजाय अधिक नुकसान करने लगता है। तब वह खाद्य पदार्थों के उत्पादों में मिलावट का कार्य करने लगता है।

- **बिक्री बढ़ाने के लिए मिलावट**

वर्तमान समय एक प्रतिर्स्पधा का दौर है, जिसमे दकानदारों द्वारा एवं व्यवसाय संचालकों के द्वारा बिक्री बढ़ाने के लिए अपने खाद्य उत्पादों का स्वाद बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है। इसके लिए उसको खाद्य पदार्थों के उत्पादों में कुछ रासायनिक व अन्य प्रकार के पदार्थों को मिलाकर स्वाद बढ़ाने प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। जैसे कि घी में शुद्ध घी की जैसी खुशबू के लिए सेन्ट का उपयोग करते है। दूध में वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए रिफाइन्ड ऑयल को मिलाने का कार्य करते है। अन्य खाद्य पदार्थों व भोजन में कई लत लगाने वाले पदार्थों को मिलाते है।

- **खाद्य उत्पादों ताजा व फ्रेंश दिखाने के लिए मिलावट**

खाद्य पदार्थों के उत्पाद अधिकांशतः 2–3 दिन में खराब होने लगते है। इनको अधिक दिनों तक सही बनाये रखने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। जिससे अधिक दिनों तक इनको खराब होने से रोका जा सकता है। और खाद्य पदार्थ ताजा व फ्रेश दिखाई देते रहे। और ऐ होता भी लेकिन ऐसे मिलावटी पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिक दिनों तक सेवन करने से बीमारियों के शिकार

भी हो जाते है।

- **खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए**

  खाद्य पदार्थों के उत्पादों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए एवं उनको आर्कषक बानये रखने के लिए रंग, सुगन्ध व अन्य रासायनिक पदार्थों की मिलावट की जाती है। इनको देखकर ग्राहक आकर्षित होते है, ओर उच्च कीमतों पर भी उपर्युक्त पदार्थों को आसानी से खरीद लेते है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए विधायिका का योगदान

विधायिका द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण कर रोकने का प्रयास किया गया है। विधायिका द्वारा कानून बनाते समय उन बातों का ध्यान रखा जाता जिसमें कानूनों का कड़ाई से पालन किया जा सके। जैसे कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, संवैधानिक प्रावधान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 इत्यादि।

खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए न्यायिक दृष्टिकोण

विन्सेट पनिकुर्लान्गारा बनाम् भारत संघ और अन्य[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के भीतर तलाशने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था और यह देखा था कि इसे सुनिश्चित करना, राज्य की एक जिम्मेदारी है। **कंज्यूमर एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर बनाम् भारत संघ**[2] में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39(C)[3] आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी संक्रेदण न हो।

सामाजिक दृष्टिकोण

शोधार्थिनी द्वारा इस भाग में अनुभवाश्रित पद्वति को अपनाकर प्रश्नावली के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है, कि मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिलें में खाद्य पदार्थों से निर्मित खाद्य उत्पादों में अपमिश्रण व उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जनसामान्य की क्या विचारधारा या राय है। जिसके सन्दर्भ में शोधार्थिनी द्वारा 200 व्यक्तियों से जिनमें 100 पुरूष एवं 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्वति का उपयोग करते हुए ग्वालियर जिले में शोध कार्य किया गया है एवं शोधार्थिनी द्वारा विभिन्न प्रकार के शोध ऑकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

ग्वालियर जिले के ऑकड़ों का विश्लेषण

शोधार्थिनी द्वारा ग्वालियर जिले में **मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन** करने के लिए ग्वालियर जिले के विभिन्न तहसीलों से शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर जनता की राय जानने की कोशिश की गई।

प्रश्न सं. 01: क्या आप खाद्य पदार्थों के उत्पादों में मिलावट के बारे में जानते हैं?

प्र.क.– 01 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	60	60.00	70	70.00
नहीं	15	15.00	7	7.00
पता ही नही चलता	25	25.00	23	23.00
कुल	100	100	100	100

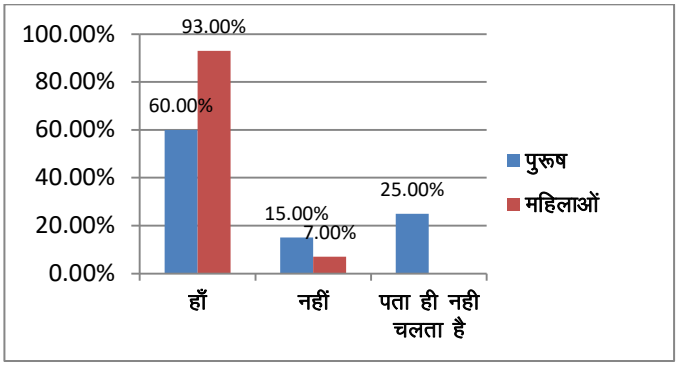

उत्तर सं. 01: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 60 पुरूष व 70 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हाँ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 60.00 व 70.00 है। 15 पुरूष व 7 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नहीं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 15.00 व 7.00 है। 25 पुरूष व 23 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**पता ही नही चलता**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 25.00 व 23.00 है।

प्रश्न सं. 02: क्या आप बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों के उत्पादों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं?

प्र.क.– 02 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	70	70.00	60	60.00
नहीं	30	30.00	40	40.00
कुल	100	100	100	100

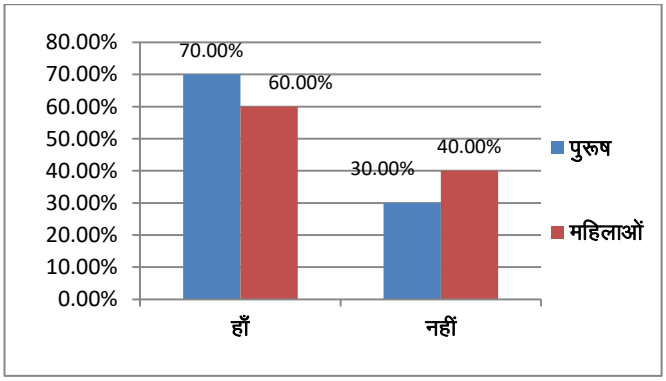

उत्तर सं. 02: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 70 पुरूष व 60 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हाँ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 70.00 व 60.00 है। 30 पुरूष व 40 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नहीं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 30.00 व 40.00 है।

प्रश्न सं. 03: क्या आपने बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों के उत्पादों में मिलावट महसूस की हैं?

प्र.क.– 03 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	65	65.00	80	80.00
नहीं	15	15.00	05	5.00
कभी–कभी	20	20.00	15	15.00
कुल	100	100	100	100

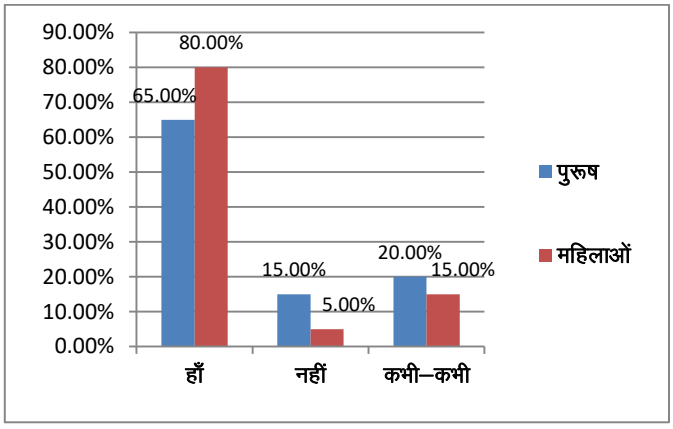

उत्तर सं. 03: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 65 पुरूष व 80 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हाँ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 65.00 व 80.00 है। 15 पुरूष व 05 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नहीं**'' जिनका

प्रतिशत क्रमशः 15.00 व 5.00 है। 20 पुरूष व 15 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**कभी–कभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 20.00 व 15.00 है।

प्रश्न सं. 04: आप बता सकते है, कि बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों में किन–किन पदार्थों की मिलावट होती हैं?

प्र.क.– 04 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
रासायनिक पदार्थ	05	05.00	06	06.00
एक जैसे दिखने वाले पदार्थ	10	10.00	12	12.00
असानी से घुलनशील पदार्थ	10	10.00	15	15.00
रेत, चॉक पाउडर, शीरा या गुड़, पत्थर, ईंट का चूरा, अरगट, चिकोरी, भुना हुआ जौं चूर्ण जैसे पदार्थ	12	12.00	10	10.00
अन्य पदार्थ	05	05.00	8	8.00
उपरोक्त सभी	58	58.00	49	49.00
कुल	100	100	100	100

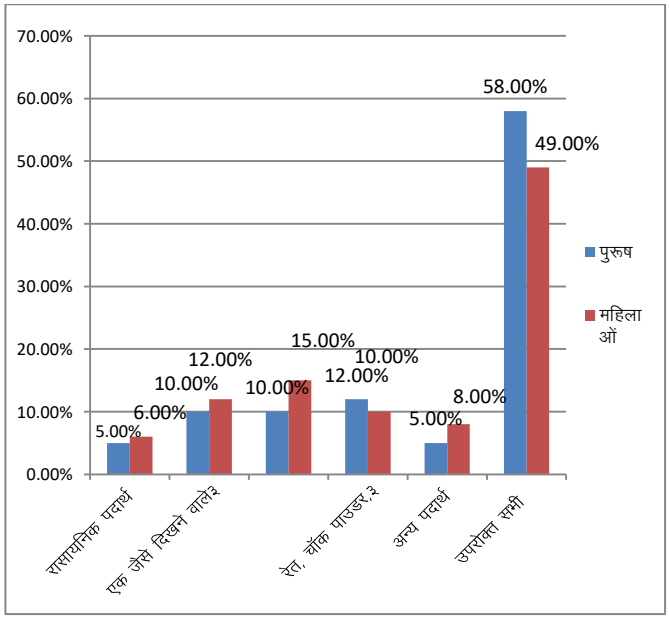

उत्तर सं. 04: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 05 पुरूष व 06 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**रासायनिक पदार्थ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 05.00 व 06.00 है। 10 पुरूष व 12 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**एक जैसे दिखने वाले पदार्थ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 व 12.00 है। 10 पुरूष व 15 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**असानी से घुलनशील पदार्थ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 व 15.00 है। 12 पुरूष व 10 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**रेत, चॉक पाउडर, शीरा या गुड़, पत्थर, ईंट का चूरा, अरगट, चिकोरी, भुना हुआ जौं चूर्ण जैसे पदार्थ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.00 व 10.00 है। 05 पुरूष व 08 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**अन्य पदार्थ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5. 00 व 8.00 है। 58 पुरूष व 49 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपरोक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 58.00 व 49.00 है।

प्रश्न सं. 05: बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारें में आपने कभी बिक्रेता से पूछताछ की हैं?

प्र.क.– 05 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	40	40.00	65	65.00
नहीं	10	10.00	5	5.00
कभी–कभी	50	50.00	30	30.00
कुल	100	100	100	100

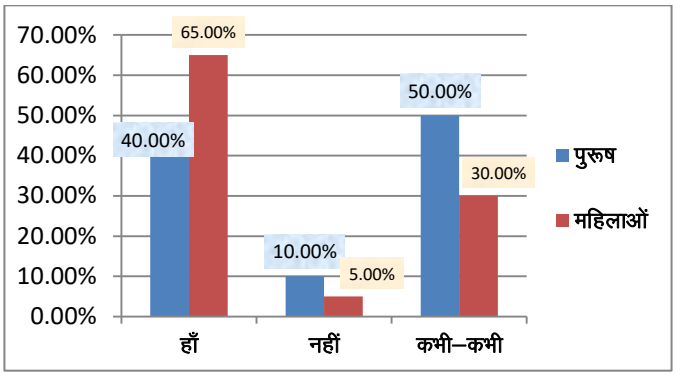

उत्तर सं. 05: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 40 पुरूष व 65 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हाँ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 40.00 व 65.00 है। 10 पुरूष व 05 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नहीं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 व 5.00 है। 50 पुरूष व 30 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**कभी–कभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 50.00 व 30.00 है।

प्रश्न सं. 06: क्या आप बता सकते है बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित हैं?

प्र.क्र.– 06 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ग्वालियर	22	22.00	18	18.00
डबरा	13	13.00	10	10.00
भितरवार	10	10.00	12	12.00
चिनौर	08	8.00	08	8.00
घाटीगॉव	07	7.00	08	8.00
तानसेन	12	12.00	15	15.00
मुरार	13	13.00	13	13.00
सिटी सेन्टर	15	15.00	16	16.00
कुल	100	100	100	100

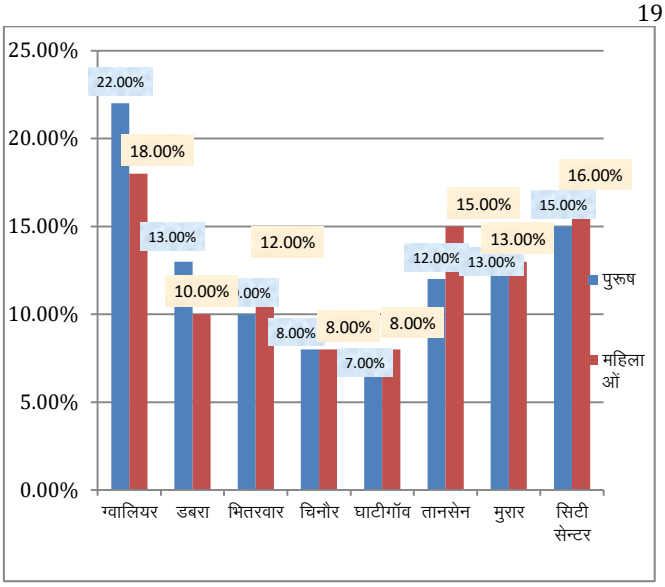

उत्तर सं. 06: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 22 पुरूष व 18 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**ग्वालियर**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 22.00 व 18.00 है। 13 पुरूष व 10 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**डबरा**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 13.00 व 10.00 है। 10 पुरूष व 12 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**भितरवार**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 व 12.00 है। 08 पुरूष व 08 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**चिनौर**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 8.00 व 8.00 है। 07 पुरूष व 08 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**घाटीगॉव**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 7.00 व 8.00 है। 12 पुरूष व 15 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**तानसेन**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.00 व 15.00 है। 13 पुरूष व 13 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**मुरार**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 13.00 व 13.00 है। 15 पुरूष व 16 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**सिटी सेन्टर**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 15.00 व 16.00 है।

प्रश्न सं. 07: आप बता सकते है खाद्य पदार्थों के उत्पादों में मिलावट के क्या कारण हैं?

प्र.क.– 07 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उत्पादता में कमी	08	8.00	10	10.00
अधिक धन कमाने की चाह	30	30.00	32	32.00
आधुनिकता के कारण	10	10.00	08	8.00
उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी	10	10.00	05	5.00
विर्निताओं एवं बिक्रेताओं पर कड़ी कार्यवाही का न होना	08	8.00	08	8.00
उपरोक्त सभी	34	34.00	37	37.00
कुल	100	100	100	100

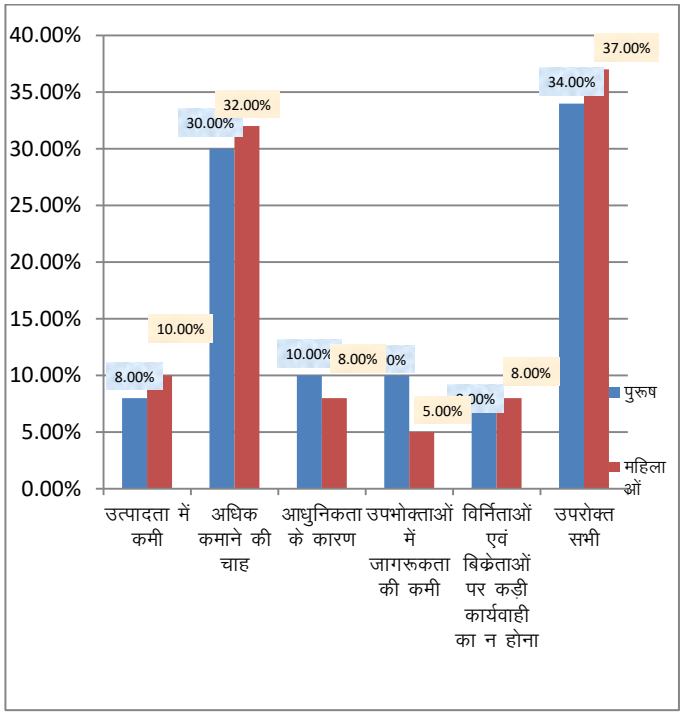

उत्तर सं. 07: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 8 पुरूष व 10 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उत्पादता में कमी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 8.00 व 10.00 है। 30 पुरूष व 32 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**अधिक धन कमाने की चाह**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 30.00 व 32.00 है। 10 पुरूष व 08 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**आधुनिकता के कारण**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 व 8.00 है। 10 पुरूष व 05 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 व 5.00 है। 08 पुरूष व 08 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– '' **विर्निताओं एवं बिक्रेताओं पर कड़ी कार्यवाही का न होना**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 8.00 व 8.00 है। 34 पुरूष व 37 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपरोक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 34.00 व 37.00 है।

प्रश्न सं. 08: क्या आप बता सकते हैं कि बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता हैं?

प्र.क.– 08 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कैंसर	05	5.00	10	10.00
हृदयाघात	08	8.00	12	12.00
लीवर सम्बन्धी बीमारियाँ	12	12.00	8	8.00
पेट सम्बन्धी बीमारियाँ	16	16.00	23	23.00
उच्च/निम्न रक्तचाप	10	10.00	08	8.00
उपरोक्त सभी	49	49.00	39	39.00
कुल	100	100	100	100

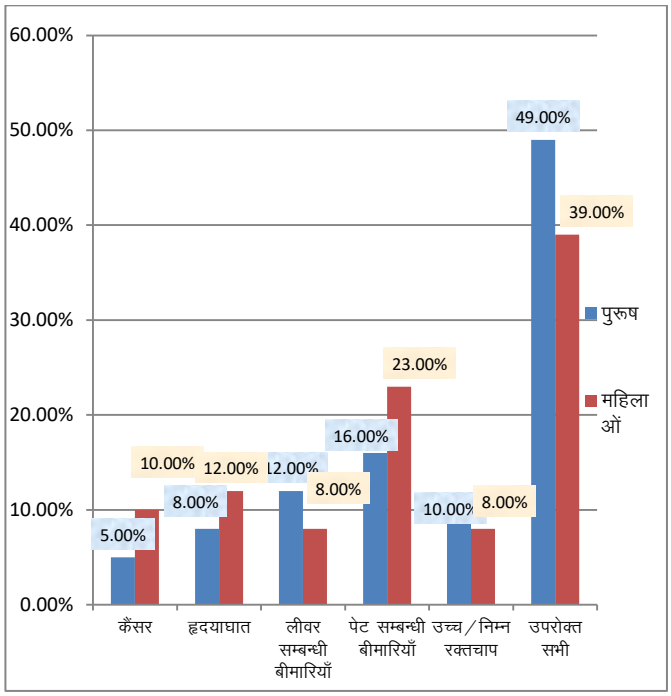

उत्तर सं. 08: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 05 पुरूष व 10 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**कैंसर**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5.00 व 10.00 है। 08 पुरूष व 12 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**हृदयाघात**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 8.00 व 12.00 है। 12 पुरूष व 08 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**लीवर सम्बन्धी बीमारियाँ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.00 व 8.00 है। 16 पुरूष व 23 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**पेट सम्बन्धी बीमारियाँ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 16.00 व 23.00 है। 10 पुरूष व 08 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उच्च/निम्न रक्तचाप**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 10.00 व 8.00 है। 49 पुरूष व 39 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपरोक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 49.00 व 39.00 है।

प्रश्न सं. 09: क्या आप बता सकते है कि बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट से सम्बन्धित किसी कानून के बारे में जानते हैं ?

प्र.क.– 09 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	70	70.00	50	50.00
नहीं	30	18.00	50	50.00
कुल	100	100	100	100

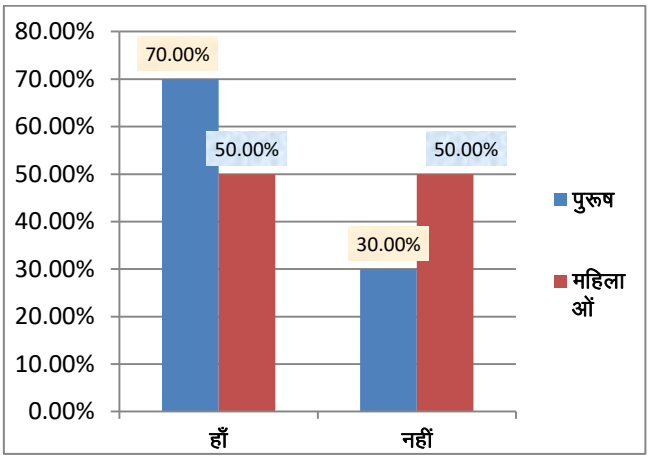

उत्तर सं. 09: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 70 पुरूष व 50 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हाँ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 70.00 व 50.00 है। 30 पुरूष व 50 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नहीं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 30.00 व 50.00 है।

प्रश्न सं. 10: क्या आप बता सकते है कि बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट से सम्बन्धित शिकायत कहॉ पर कर सकते हैं?

प्र.क.– 10 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
खाद्य सुरक्षा अधिकारी	30	30.00	25	25.00
खाद्य सुरक्षा एवं मानक	17	17.00	15	15.00

प्राधिकरण				
मजिस्ट्रेट	05	5.00	05	5.00
पुलिस से	08	8.00	10	10.00
उपरोक्त सभी	40	40.00	45	45.00
कुल	100	100	100	100

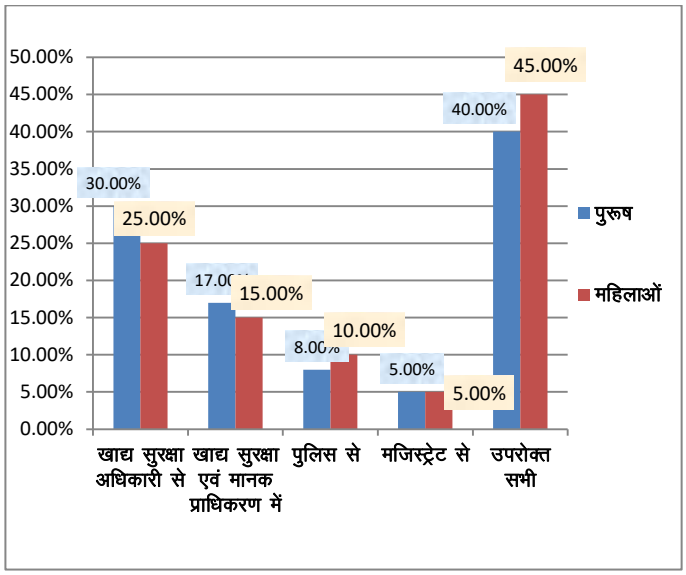

उत्तर सं. 10: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 30 पुरूष व 25 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**खाद्य सुरक्षा अधिकारी से**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 30.00 व 25.00 है। 17 पुरूष व 15 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 17.00 व 15.00 है। 05 पुरूष व 05 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**मजिस्ट्रेट से**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5.00 व 5.00 है। 08 पुरूष व 10 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**पुलिस से**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 5.00 व 5.00 है। 40 पुरूष व 45 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**उपरोक्त सभी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 40.00 व 45.00 है।

प्रश्न सं. 11: क्या आप मानते हैं कि बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए बनाये गये कानून प्रभावकारी हैं?

प्र.क्र.– 15 तालिका

उत्तर	पुरूष		महिलाओं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हॉ	33	33.00	25	25.00
नहीं	18	18.00	20	20.00
आंशिक प्रभावी	43	43.00	36	36.00
बिल्कुल प्रभावी नही है	06	06.00	19	19.00
कुल	100	100	100	100

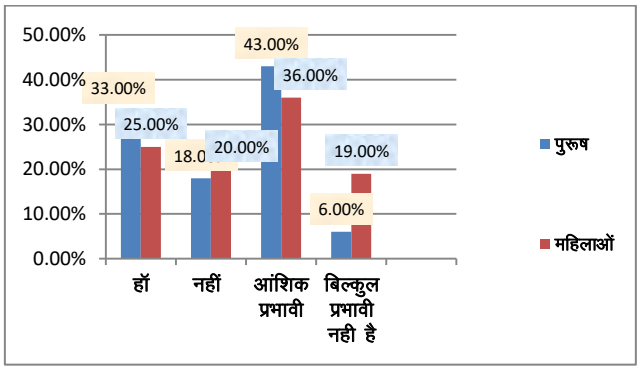

उत्तर सं. 11: उर्पयुक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कुल 200 पुरूष व महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया जिसमें 100 पुरूष व 100 महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किये गये, जिनमें से 33 पुरूष व 25 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया–''**हॉ**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 33.00 व 25.00 है। 18 पुरूष व 20 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**नहीं**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 18.00 व 20.00 है। 43 पुरूष व 36 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**आंशिक प्रभावी**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 43.00 व 36.00 है। 06 पुरूष व 19 महिला उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया– ''**बिलकुल प्रभावी नही है**'' जिनका प्रतिशत क्रमशः 6.00 व 19.00

है।

उपसंहार

खाद्य पदार्थों में मिलावट का सबसे कारण जनसंख्या वृद्वि और भौतिकतावाद को बढ़ावा है। जिसके कारण कृषि व अन्य देशी चीजों मे कमी आई है। जिसके कारण खाद्य पदार्थों को कही दूसरे स्थान से आयात करनी पड़ती है। आयात और निर्यात के समय में भी मिलावट की आशंकाओं से मुह नही मोड़ा जा सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद बनावटी दूध, दही व अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई भी मवेशियों के पालन में कमी आई है क्योकि मवेशियों के द्वारा होने वाली आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो जाते है। जिसके कारण मवेशियों के पालन करने वाले व्यक्तियों को घाटा हो जाता है। इसी क्रम मे कृषि व्यवसाय को अपनाने वाले कृषक लगातार इस व्यवसाय को त्याग रहे है। क्योंकि कृषि में इनको लगातार घाटा होता जा रहा है। इसके प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिग भी है जिसकी बजह से मौसम में व वातावरण में लगातार बदलाव आ रहे है। जो फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आधुनिक कम्पनियों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अच्छी पैकिंग करते है। लेकिन गुण वत्ता की ओर ध्यान कम दिया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप इन खाद्य पदार्थों को उपयोग करने वाले व्यक्ति कई प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते है। आज के समय में लोगों की दैनिक चर्या में आने वाले बदलाव के कारण पेकिंग वाले खाद्य पदार्थों की मॉग बढ़ती जा रही है।

सुझाव

उर्पयुक्त अध्ययन के आधार पर सुझाव निम्नलिखित है

1. खाद्य पदार्थों के विनिर्मिताओं को लाइसेन्स प्रदान करने से पहले उनसे करार करवाना चाहिये कि यदि उन्होने खाद्य पदार्थों में मिलावट की तो उनका लाइसेंस रदद कर दिया जावेगा।
2. खाद्य पदार्थों को बनाने वाली कम्पनियों के द्वारा बाजार में उत्पाद बेंचने से पहले उनका सेंम्पल लेकर सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा जॉच करवायी जायें। मानको को पूरा न करने वाले खाद्य पदार्थों को बाजार में बेंचने से प्रतिबन्धित किया जाये।
3. खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्त प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिये।
4. उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को खाद्य पदार्थों को बनाने वाली कम्पनियों द्वारा आयोजित करवाने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है।
5. खाद्य पदार्थों के मानकों के क्रियान्वयन करने के लिए समय समय पर तलाशी और छापामारी अभियान चलाया जाये, जिससे अपमिश्रण करके लोगो के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालो के अंदर भय व्याप्त हो जाए।
6. न्यायालयों के द्वारा मामलों को एक निश्चित समय सीमा में निपटाये जाना चाहिये।
7. सरकार को चाहिये की जनसंख्या के आधार पर खाद्य पदार्थों की प्रत्येक गॉव स्तर तक स्थापित की जानी चाहिये।

सन्दर्भ सूची

[1] AIR 1987 SC 990
[2] AIR 1955 SC 922
[3] नरेन्द्र कुमारः भारतीय संविधानः इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, 9वॉ संस्करण 2015, पेज न. 523।